भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4822
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' की स्थिति

4822. श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री अरुण गोविल:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' (पीएमएमवीवाई) की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक इसके अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या कितनी है तथा विभिन्न राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके कार्यान्वयन और संवितरित की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) मातृत्व और बाल स्वास्थ्य परिणामों के संबंध में पीएमएमवीवाई के प्रभाव का ब्यौरा क्या है और इस योजना ने झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित इन राज्यों में विशेषकर अल्पसेवित और ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए वित्तीय सहायता में किस प्रकार योगदान दिया है; और

(ग) क्या लाभार्थियों के लिए बेहतर सहायता सुनिश्चित करने हेतु कवरेज बढ़ाने/पात्रता मानदण्डों में संशोधन करने/नकद अंतरण की राशि में वृद्धि करने सहित इसकी प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए किन्हीं परिवर्तनों अथवा अद्यतनों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिनांक 01.01.2017 से पूरे देश में (ओडिशा और तेलंगाना को छोड़कर) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के महिला एवं बाल

विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के अधिकारियों के माध्यम से प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएमवीवाई एक केन्द्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत प्रथम बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे 5,000/- रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन राशि मिलती है जिससे एक महिला को औसतन 6,000/- रुपये मिलते हैं। पीएमएमवीवाई के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को दूसरे बच्चे के लिए 6,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है बशर्ते कि दूसरा बच्चा बालिका हो।

पीएमएमवीवाई की वर्तमान स्थिति, जिसमें अब तक शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निधि वितरण का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से व्यापक मिशन शक्ति योजना की शुरुआत के साथ प्रथम बच्चे के लिए पीएमएमवीवाई के तहत किस्तों की संख्या तीन (3) से घटाकर दो (2) कर दी गई है। इसके अलावा, पीएमएमवीवाई के तहत मातृत्व लाभ दूसरे बच्चे के लिए भी दिया जाता है बशर्ते कि दूसरा बच्चा बालिका हो। इस योजना में संशोधन के परिणामस्वरूप, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाईसॉफ्ट) नामक एक नया ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया और इसे मार्च, 2023 में आरंभ किया गया। पीएमएमवीवाई सॉफ्ट के तहत, यूआईडीएआई के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण डिजिटल रूप से किया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाता है ताकि निधि सीधे केवल लाभार्थियों के डीबीटी-सक्षम आधार-सीडेड बैंक या डाकघर खातों में अंतरित की जा सके।

पीएमएमवीवाई देश के 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। ओडिशा सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है और तेलंगाना सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई को कार्यान्वित नहीं कर रही है। 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह योजना महिला एवं बाल विकास विभागों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के स्तर पर आवेदन पंजीकृत किए जाते हैं और उसके बाद पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) और

राज्य नोडल अधिकारी के स्तर पर कार्रवाई की जाती है। यह योजना पांच राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जहां मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री (आशा) के स्तर पर आवेदन पंजीकृत किए जाते हैं और उसके बाद सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम), चिकित्सा अधिकारी और राज्य नोडल अधिकारी के स्तर पर कार्रवाई की जाती है। पीएमएमवीवाई के तहत पंजीकरण, कार्रवाई और दिन-प्रतिदिन की निगरानी संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा की जाती है।

इसके अलावा, लाभार्थियों को उनके आवेदन और भुगतान की स्थिति का पता लगाने की सुविधा प्रदान करने के लिए पीएमएमवीवाई पोर्टल पर एक 'ट्रैक एंड सर्च' सुविधा उपलब्ध है जो आवेदन का तत्समय स्थान और स्थिति दिखाती है। इसके अलावा, किसी भी लाभार्थी द्वारा पीएमएमवीवाई से संबंधित शिकायत दर्ज करने और उसका पता लगाने के लिए एक शिकायत निवारण मॉड्यूल कार्यान्वित किया गया है।

मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संकल्प-महिला सशक्तीकरण केन्द्र (एचईडब्ल्यू) योजना के माध्यम से मातृत्व लाभ सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) गतिविधियां, जैसे प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स का प्रसारण, सेल्फी अभियान, डोर टू डोर अभियान, सामुदायिक कार्यक्रम जो क्षेत्रीय कर्मियों के स्तर पर आयोजित किए जाते हैं, शामिल हैं। इसके अलावा, मंत्रालय समय-समय पर पीएमएमवीवाई के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान भी चला रहा है।

भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) द्वारा जारी मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) पर विशेष बुलेटिन के अनुसार देश की वर्तमान एमएमआर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 97 है। नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के अनुसार वर्ष 2016-18 से 2018-20 तक भारत तथा झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 1: मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर)			
भारत/ राज्य	**2016-18**	**2017-19**	**2018-20**
भारत	**113**	**103**	**97**
झारखंड	71	61	56
उत्तर प्रदेश	197	167	167

****

'पीएमएमवी योजना की स्थिति' के संबंध में दिनांक 28.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4822 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक

योजना के आरंभ से दिनांक 26.03.2025 तक पीएमएमवीवाई के तहत नामांकित लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या, भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों और वितरित राशि को दर्शाने वाला विवरण:

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**नामांकित लाभार्थी**	**भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थी**	**वितरित राशि (करोड़ रूपये में)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11,236	9,705	4.58
2	आंध्र प्रदेश	20,08,293	18,36,826	845.27
3	अरुणाचल प्रदेश	38,950	31,045	14.13
4	असम	15,62,593	13,95,817	649.52
5	बिहार	46,90,594	39,62,302	1778.86
6	चंडीगढ़	39,824	38,335	17.05
7	छत्तीसगढ़	11,62,795	10,68,728	481.40
8	दिल्ली	5,63,509	5,13,719	236.06
9	गोवा	36,043	31,254	14.88
10	गुजरात	17,41,766	15,58,882	691.31
11	हरियाणा	9,80,159	8,88,474	412.94
12	हिमाचल प्रदेश	3,46,294	3,09,023	145.16
13	जम्मू और कश्मीर	4,90,965	4,37,816	204.78
14	झारखंड	11,09,410	9,59,608	425.05

15	कर्नाटक	29,29,453	27,41,289	1286.85
16	केरल	12,20,889	11,52,480	536.06
17	लद्दाख	8,588	7,843	3.76
18	लक्षद्वीप	3,170	2,720	1.06
19	मध्य प्रदेश	46,51,537	44,79,972	2102.08
20	महाराष्ट्र	42,61,070	37,99,578	1735.73
21	मणिपुर	93,776	81,287	40.15
22	मेघालय	74,827	65,695	29.97
23	मिजोरम	48,720	40,980	19.27
24	नागालैंड	49,660	42,840	21.22
25	पुदुचेरी	44,912	41,718	19.99
26	पंजाब	7,91,907	7,51,824	365.69
27	राजस्थान	28,55,996	26,85,907	1222.02
28	सिक्किम	27,991	17,353	7.72
29	तमिलनाडु	20,55,661	16,26,109	878.34
30	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	26,854	24,386	10.63
31	त्रिपुरा	1,44,965	1,35,616	61.58
32	उत्तर प्रदेश	67,15,887	61,58,851	2733.59
33	उत्तराखंड	4,44,931	3,95,742	179.57
34	पश्चिम बंगाल	24,12,203	16,38,005	739.11

टिप्पणियां:

1. तेलंगाना सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई योजना को कार्यान्वित नहीं कर रही है।
2. ओडिशा सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई योजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है।
3. यह जानकारी पीएमएमवीवाई पोर्टल (https://pmmvy.wcd.gov.in) से ली गई है।

****